



राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड।

‘निर्वाचन भवन’

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची - 834001

Email : jsec-jhr@nic.in

दूरभाष- 0651-2284012, 9264474491 फ़ैक्स-0651-2280287

पत्रांक-03-नि० प०-63/2022 रा०नि०आ०-

1479 /

प्रेषक,

राधे श्याम प्रसाद,
सचिव ।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)-सह-उपायुक्त,
पलामू।

राँची, दिनांक- 28 / 05 / 2022

विषय:-

त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 : पुनर्मतदान के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-934/ग्रा०प० दिनांक-27.05.2022


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा पलामू जिलान्तर्गत चैनपुर प्रखण्ड के मतदान केन्द्र संख्या- 256, प्राथमिक विद्यालय, कुरका में वार्ड सदस्य के पद हेतु पुनर्मतदान संबंधी प्रतिवेदन एवं सामान्य प्रेक्षक द्वारा भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा के पश्चात् निदेशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग का अभिमत है कि उक्त मतदान केन्द्र के संबंध में वार्ड सदस्य की निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हुई है। अतः झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 73 के अधीन आयोग का यह निर्देश है कि संबंधित मतदान केन्द्र पर निम्न विवरणी के अनुसार पुनर्मतदान कराना सुनिश्चित किया जाय :-

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	मतदान केन्द्र संख्या एवं मतदान केन्द्र का नाम	पद का नाम	पुनर्मतदान की तिथि एवं समय
1	चैनपुर	256, प्राथमिक विद्यालय, कुरका	वार्ड सदस्य	29.05.2022 (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)

संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को तत्काल इस आशय की सूचना उपलब्ध करा दी जाय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन


सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची ।